

DRAFT

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 4]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2023

S.R.O. _____ WHEREAS the draft bye-laws, namely, the Fatehgarh Cantonment (Regulation and Control of use of loudspeakers) byelaws, 2023 were published by the Government of India in the Ministry of Defence *vide* Gazette Notification number _____ dated _____ inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the public notice containing the said notification were made available to the public on the 12.09.2023, and notice of the same put on the Cantonment Board Notice Board, website and also published in the local paper namely Danik Hindustan dated 12.09.2023 to invite the objections and suggestions :

AND WHEREAS _____ objections or suggestions was received from the public within the specified period:

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 348 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) the Fatehgarh Cantonment Board with the approval of the Central Government hereby makes the following bye-laws namely:

The following byelaws for the Regulation and Control of the use of loud speakers in Fatehgarh Cantonment , framed by the Cantonment Board Fatehgarh, in exercise of the powers concurred by of the section 348 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) (hereinafter referred to the said Act) are hereby published for general information, the Rules having been previously published and having been approved and certified by the Central Government, as required by sub-section (1) of section 348 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement – (1) These byelaws may be called the Fatehgarh Cantonment (Regulation and Control of use of Loudspeakers) Byelaws, 2023.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability.—These bye-laws shall be applicable within the territorial limits of the Fatehgarh Cantonment.

3. **Definitions-** In these Byelaws unless the context otherwise requires.

- (a) "Board" means the Cantonment Board, Fatehgarh.
- (b) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Board.
- (c) "Loudspeaker" means anything instrument to augment all sound vocal Instrumental or recorded and includes a D.J. a big drum a tom-tom, a horn, a siren, a whistle, a trumpet, a harmonium, a bell, a pipe, a brass band, or any electrically or mechanically operated means of producing loud noise.
- (d) "President" means President of Cantonment Board Ex-officio Station Commander by virtue of office at Fatehgarh Cantonment.

4. **Restriction on use** – No person shall make use of any loudspeaker whether stationary fitted to any motor vehicle or other moving vehicle within the limits of the Fatehgarh Cantonment Board with the permission of the Chief Executive Officer and on such conditions as he may impose under these by byelaws.

Provided that no such permission shall be necessary for the use of any loudspeaker for the announcement of any notice or communiqué issue by the Central Govt., the State Govt., the deputy Commissioner or the District Magistrate of the District, Superintendent of Police of the District or the Chief Executive Officer and Local Military Authorities.

5. **Timing for use** - The use of loudspeaker will not be allowed later by 10.00 p.m. in night and before 6.00 a.m. in morning and all loudspeaker shall not be used/ fitted/let out without " Sound Limiter " and within the permissible decibel as per the following standards :-

Area/Zone	Day Time	Night Time
Commercial Area	65 dB (A) Leq	55 dB (A) Leq
Residential Area	55 dB (A) Leq	45 dB (A) Leq
Silence Zone	50 dB (A) Leq	40 dB (A) Leq

1. * dB (A) Leq denotes the time weighted average of the level of sound in decibels on scale A which is relatable to human hearing

(i) Day time reckoned in between 6.00 AM to 10.00 PM.

(ii) Night time is reckoned in between 10.00 PM to 6.00 AM

6. **Restrictions :** Provided that If there is any noise after 10 p.m., Penal action as provided in Cantonments Act 2006 under succeeding No. Para 10 be taken and also a complaint/case may be lodged with the local police under Section 290 of the IPC.

Further provided that no use of loudspeaker shall be allowed **within the radius of 100 mtr of Hospital and Schools.**

7. **Application for use** – An Application shall be made in the form prescribed in the schedule to these byelaws for permission to use a loudspeaker to the Chief Executive Officer who may, having regard to public welfare and convenience refuse or grant permission and in granting such permission he may impose any reasonable restrictions in r/o of the use of the said

Loudspeaker. The Board may from time to time, lay down instructions for the guidance of the Chief Executive Officer in this regard.

8. **Modification or withdrawal of Permission** – Any permission given or condition imposed under these byelaws may be withdrawn or varied by the Chief Executive Officer here such withdrawal or variation appears to him to be necessary in the interest of the public.

Provided that every permission given under these byelaws shall be subject to an order passed by any Magistrate during emergency.

9. **Appeal** – Any person aggrieved by an order of the Chief Executive Officer made under those byelaws any appeal to the President of the Board within seven days from the date of communication of such order to him. The order of the President in such appeal shall be final.

10. **Penalty for breach of bye-laws** (as per Section 349 of Cantonments Act 2006) – Contravention of any of the provisions of these byelaws shall be punishable

(a) with fine which may extend to Rs.5000/- (Rupees five thousand rupees) or

(b) with fine which may extend to five thousand rupees and, in case of a continuing contravention with additional fine which may extend to Five Hundred Rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention; or

© with fine which may extend to One Hundred Fifty Rupees for every day during which such contravention continues after the receipt of a notice from the Board or Chief Executive Officer by the person contravening the bye-law requiring such person to discontinue such contravention.


(Sudhir Kumar)

Chief Executive Officer, Fatehgarh Cantt.

(File No. FCB/ADM/Review of Byelaws & Regulations /2023-24).

SCHEDULE

(Bye – Law 4)

(Application for permission of Loudspeaker in the limit of Fatehgarh Cantt)

To,

The Chief Executive Officer,
Fatehgarh Cantonment.

Sir,

Please grant me permission to use a loudspeaker on.....at my residence
No. at situated inFatehgarh Cantt in connection with
..... I shall abide by the conditions imposed for the grant of aforesaid
permission.

Yours Faithfully,

Applicant's signature
Address:

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 2023

एस०आर०ओ० _____ चूंकि प्रारूप उपनियम, फतेहगढ़ छावनी क्षेत्र में (लाउडस्पीकर का विनियमन और नियंत्रण) उपनियम, 2023 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या _____ दिनांक: _____ द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी इनसे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस दिनांक से, जिस दिनांक को उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट प्रकाशन की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए।

उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट प्रकाशन की प्रतियां दिनांक 12/09/2023 को जनता को आपत्ति एवं सुझाव हेतु उपलब्ध कराई गईं और इस आशय की सूचना छावनी परिषद सूचना बोर्ड पर दर्शाई गई तथा दिनांक 12/09/2023 को स्थानीय समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान तथा छावनी परिषद फतेहगढ़ की वेबसाइट (<https://fatehgarh.cantt.gov.in>) पर भी प्रकाशित की गई

तथा कोई आपत्ति अथवा परामर्श विनिर्दिष्ट अवधि के अधीन जनता से प्राप्त हुआ।

अतः छावनी अधिनियम, 2006 (2006 की 41) की धारा 348 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से फतेहगढ़ छावनी परिषद निम्नलिखित उप-नियम बनाती है:

फतेहगढ़ छावनी क्षेत्र में लाउडस्पीकर के उपयोग के विनियमन और नियन्त्रण हेतु निम्नलिखित उप नियम, छावनी परिषद फतेहगढ़ द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा-348 द्वारा सहमति प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये हैं (इसके बाद सन्दर्भित किया गया है) उक्त अधिनियम हेतु एतद्वारा सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, नियम पहले प्रकाशित किये जा चुके हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित व प्रमाणित किये गये हैं, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 348 की उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक है, अर्थात्:-

फतेहगढ़ छावनी परिषद लाउडस्पीकर विनियमन एवं नियंत्रण उप नियम 2023

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(1) इन उप-नियमों का संक्षिप्त नाम फतेहगढ़ छावनी लाउडस्पीकर विनियमन एवं नियंत्रण उप-नियम, 2023 है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. लागू होना: ये उप-नियम फतेहगढ़ छावनी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं: इन उप-नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) बोर्ड का तात्पर्य छावनी परिषद फतेहगढ़ से है।
- (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य छावनी परिषद फतेहगढ़ के मुख्य अधिशासी अधिकारी से है।
- (ग) लाउडस्पीकर का तात्पर्य उन सभी वाद्य यंत्रों, रिकॉर्ड की गयी ध्वनि को बढ़ाने हेतु उपकरण, डीजे आदि से है तथा इसके अतिरिक्त बड़ा ड्रम, टॉम-टॉम, हॉर्न, सायरन, सीटी, तुरही, हारमोनियम, घंटी, पाइप, ब्रास बैण्ड या तेज आवाज उत्पन्न करने वाला कोई बिद्युत या यान्त्रिक रूप से संचालित होने वाले साधनों से है।
- (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य पदेन स्टेशन कमाण्डर एवं अध्यक्ष, छावनी परिषद फतेहगढ़ से है।
4. **प्रयोग हेतु प्रतिबन्ध** — इस उपविधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति छावनी परिषद फतेहगढ़ की सीमा के भीतर मुख्य अधिशासी अधिकारी की अनुमति से और ऐसी शर्तों पर जो वह इनके तहत लगा सकता है, किसी भी ऐसे लाउडस्पीकर को प्रयोग नहीं कर सकता, जो माटर वाहन अथवा अन्य कियी चालित वाहन पर लगा हो।
- बशर्ते कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिले के उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य अधिशासी अधिकारी अथवा स्थानीय सैन्य अधिकारी द्वारा किसी नोटिस या विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा हेतु किसी लाउडस्पीकर के उपयोग के लिये ऐसी अनुमति आवश्यक नहीं होगी।
5. **उपयोग हेतु समय** — रात्रि 10.00 बजे के बाद व प्रातः 06.00 बजे से पहले लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। बिना ध्वनि सीमक लगे लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं होगी तथा निम्नलिखित ध्वनि मानकों के अन्दर ही लाउडस्पीकरों के प्रयोग की अनुमति होगी:—

क्षेत्र/अंचल	दिन का समय	रात का समय
व्यावसायिक क्षेत्र	65 डीबी (ए) लेग	55 डीबी (ए) लेग
आवासीय क्षेत्र	55 डीबी (ए) लेग	45 डीबी (ए) लेग
शान्त क्षेत्र	50 डीबी (ए) लेग	40 डीबी (ए) लेग

- डीबी (ए) लेक स्केल ए पर डेसीबल में ध्वनि के स्तर के भारित औसत को दर्शाता है जो मानव श्रवण से सम्बन्धित है
 - दिन का समय सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के बीच गिना जाता है।
 - रात्रि का समय रात्रि 10.00 बजे सुबह 06.00 बजे के बीच गिना जाता है।
- प्रतिबन्ध** :- यदि रात्रि 10.00 बजे के बाद कोई शोर होता है तो छावनी अधिनियम, 2006 अनुवर्ती पैरा 10 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी और आई.पी.सी. की धारा 290 के तहत स्थानीय पुलिस के पास शिकायत/वाद भी दर्ज कराया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त अस्पताल व स्कूलों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
- उपयोग हेतु आवेदन** :- छावनी क्षेत्र में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति हेतु आवेदन इन उपनियमों की अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर मुख्य अधिशासी अधिकारी को किया जायेगा, जो लोक कल्याण और जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनुमति देने से इनकार कर सकता है या अनुमति दे भी सकता है। अनुमति से वह उक्त के दायरे में कोई भी उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है। बोर्ड समय-समय पर इस सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी के मार्गदर्शन के लिये निर्देश दे सकता है।
- अनुमति में संशोधन या वापसी** :- इन उपनियमों के तहत दी गयी किसी भी अनुमति या लगाई गई शर्त को मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा वापस अथवा परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसी

वापसी या परिवर्तन जनता के हित में होने पर किये जाते हैं। बशर्ते कि इन उपनियमों के तहत दी गई प्रत्येक अनुमति आपातकालीन स्थिति के दौरान किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा किये गये आदेश के अधीन होगी।


9. **अपील :-** इन उपनियमों के तहत दिये गये मुख्य अधिशासी अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के संचार की तारीख से 07 दिनों के भीतर बोर्ड के अध्यक्ष को अपील कर सकता है। ऐसी अपील में बोर्ड के अध्यक्ष का आदेश अन्तिम होगा।
10. **उपनियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना** (छावनी अधिनियम 2006 की धारा 349 के अनुसार) :- इस उपनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दण्डनीय होगा।
- (अ). जुर्माना, जो ₹0 5,000/- (पांच हजार रुपये) तक बढ़ाया जा सकता है।

‘या’

(ब). जुर्माने से, जो ₹0 5,000/- (पांच हजार रुपये) तक बढ़ाया जा सकता है और जारी रहने की स्थिति में उल्लंघन पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा, जो प्रत्येक दिन के हिसाब से ₹0 500/- तक बढ़ाया जा सकता है। जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन पहले ऐसे उल्लंघन के लिये दोषी ठहराये जाने के बाद भी जारी रहता है।

‘या’

(स). जुर्माने के साथ, जो उस दौरान प्रत्येक दिन के लिये ₹0 150/- तक बढ़ाया जा सकता है ऐसा उल्लंघन बोर्ड या मुख्य अधिशासी अधिकारी से नोटिस प्राप्त होने के बाद भी जारी रहता है, अधिकारी द्वारा उपविधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति से इसे बन्द करने की अपेक्षा की जाती है।


(सुधीर कुमार)

मुख्य अधिशासी अधिकारी, फतेहगढ़ छावनी।

पत्रावली संख्या एफ.सी.बी./एडम/उपनियमों व विनियमों की समीक्षा/2023-24

अनुसूची

(उपविधि 4)

(फतेहगढ़ कैण्ट की सीमा में लाउडस्पीकर की अनुमति हेतु आवेदन)

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद फतेहगढ़।

महोदय,

कृपया मुझे मेरे फतेहगढ़ कैण्ट स्थित निवास

.....पर
लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति दें। मैं अनुमति हेतु अनिवार्य सभी शर्तों का पालन करूंगा।

आवेदक

हस्ताक्षर:

पता:

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-